रजिस्ट्रीसं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08082020-220998
CG-DL-E-08082020-220998

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड3—उप-खण्ड(i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकारसेप्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 391] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 7, 2020/श्रावण 16, 1942
No. 391] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 7, 2020/SRAVANA 16, 1942

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अगस्त, 2020

सा.का.नि; 496 (अ).— केन्द्रीय सरकार, चीनी विकास निधि अधिनियम, 1982 (1982 का 4) की धारा 9 के साथ पठित धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए चीनी विकास निधि नियम, 1983 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम चीनी विकास निधि (संशोधन) नियम, 2020 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. चीनी विकास निधि नियम, 1983 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है) में नियम 6 में क्रम संख्या (8) में मुख्य निदेशक, शर्करा निदेशालय शब्दों के स्थान पर निदेशक, शर्करा और वनस्पति तेल निदेशालय शब्द रखे जाएंगे।

3. उक्त नियम में, नियम 22 में उप नियम (1) के पश्चात निम्नलिखित उप नियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

"(1क) किसी उपक्रम के किसी चीनी कारखाने, जिसकी संस्थापित क्षमता 2500 टन पेराई प्रति दिवस से कम हो, परंतु 1250 टन पेराई प्रति दिवस से कम न हो और जिसे उप नियम (1) में यथा उपबंधित वित्तीय सहायता अनुमोदित की गई है, के सह-उत्पादन संयंत्र अथवा इथेनोल संयंत्र से जुड़ी आधुनिकीकरण-सह-विस्तार परियोजना के लिए कोई प्रस्ताव इस नियम के अंतर्गत निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन ऋण के आवेदन के लिए भी पात्र होगा,अर्थात:—

(i) ऐसी परियोजना के लिए आवेदन, चीनी कारखाने द्वारा किसी बैंक अथवा वित्तीय संस्थान को प्रस्तुत किया जाए;
(ii) ऐसी प्रत्येक परियोजना में बैंक अथवा वित्तीय संस्थान का मूल्यांकन प्राधिकारी यह प्रमाणित करता है कि चीनी कारखाने द्वारा प्रस्तुत परियोजना 2500 टन पेराई प्रति दिवस से कम क्षमता वाले ऐसे चीनी कारखाने के लिए वित्तीय दृष्टि से व्यवहार्य है;
(iii) ऐसी परियोजना का राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य संस्थान द्वारा तकनीकी दृष्टि से मूल्यांकन किया जाएगा और उसने प्रमाणित किया हो कि यह परियोजना तकनीकी दृष्टि से व्यवहार्य है।
(iv) चीनी विकास निधि ऋण के लिए चीनी कारखाने अथवा चीनी उपक्रम द्वारा राज्य सरकार की गारंटी प्रस्तुत की गई हो।"

4. उक्त नियम में, नियम 22क में उप नियम (1) के पश्चात निम्नलिखित उप नियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

"(1क) किसी उपक्रम के किसी चीनी कारखाने, जिसकी संस्थापित क्षमता 2500 टन पेराई प्रति दिवस से कम हो, किंतु 1250 टन पेराई प्रति दिवस से कम न हो और जिसे उप नियम (1) में यथा उपबंधित वित्तीय सहायता अनुमोदित की गई है, के सह-उत्पादन संयंत्र अथवा इथेनोल संयंत्र से जुड़ी आधुनिकीकरण-सह-विस्तार परियोजना के लिए कोई प्रस्ताव इस नियम के अंतर्गत निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन ऋण के आवेदन के लिए भी पात्र होगा,अर्थात:-
(i) ऐसी परियोजना के लिए आवेदन, चीनी कारखाने द्वारा किसी बैंक अथवा वित्तीय संस्थान को प्रस्तुत किया जाए;
(ii) ऐसी प्रत्येक परियोजना में बैंक अथवा वित्तीय संस्थान का मूल्यांकन प्राधिकारी यह प्रमाणित करता है कि चीनी कारखाने द्वारा प्रस्तुत परियोजना 2500 टन पेराई प्रति दिवस से कम क्षमता वाले ऐसे चीनी कारखाने के लिए वित्तीय दृष्टि से व्यवहार्य है;
(iii) ऐसी परियोजना का राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य संस्थान द्वारा तकनीकी दृष्टि से मूल्यांकन किया जाएगा और उसने प्रमाणित किया हो कि यह परियोजना तकनीकी दृष्टि से व्यवहार्य है।
(iv) चीनी विकास निधि ऋण के लिए चीनी कारखाने अथवा चीनी उपक्रम द्वारा राज्य सरकार की गारंटी प्रस्तुत की गई हो। "

5. उक्त नियम में, नियम 23 में उप नियम (1) के पश्चात निम्नलिखित उप नियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-
"(1क) किसी उपक्रम के किसी चीनी कारखाने, जिसकी संस्थापित क्षमता 2500 टन पेराई प्रति दिवस से कम हो, किंतु 1250 टन पेराई प्रति दिवस से कम न हो और जिसे उप नियम (1) में यथा उपबंधित वित्तीय सहायता अनुमोदित की गई है, के सह-उत्पादन संयंत्र अथवा इथेनोल संयंत्र से जुड़ी आधुनिकीकरण-सह-विस्तार परियोजना के लिए कोई प्रस्ताव इस नियम के अंतर्गत निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन ऋण के आवेदन के लिए भी पात्र होगा,अर्थात:-

(i) ऐसी परियोजना के लिए आवेदन, चीनी कारखाने द्वारा किसी बैंक अथवा वित्तीय संस्थान को प्रस्तुत किया जाए;

(ii) ऐसी प्रत्येक परियोजना में बैंक अथवा वित्तीय संस्थान का मूल्यांकन प्राधिकारी यह प्रमाणित करता है कि चीनी कारखाने द्वारा प्रस्तुत परियोजना 2500 टन पेराई प्रति दिवस से कम क्षमता वाले ऐसे चीनी कारखाने के लिए वित्तीय दृष्टि से व्यवहार्य है;

(iii) ऐसी परियोजना का राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य संस्थान द्वारा तकनीकी दृष्टि से मूल्यांकन किया जाएगा और उसने प्रमाणित किया हो कि यह परियोजना तकनीकी दृष्टि से व्यवहार्य है।

(iv) चीनी विकास निधि ऋण के लिए चीनी कारखाने अथवा चीनी उपक्रम द्वारा राज्य सरकार की गारंटी प्रस्तुत की गई हो।"

6. उक्त नियम में, नियम 25 में उप नियम (3) में "छह प्रतिशत की दर" शब्दों के स्थान पर "चार प्रतिशत की दर" शब्द रखे जाएंगे।

[फा .सं.1-1/2020-एसडीएफ[

सुबोध कुमार सिंह, संयुक्त सचिव (शर्करा और प्रशासन)

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 752 (अ), तारीख 27 सितंबर, 1983 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और इनमें अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 885 (अ) तारीख 17 सितंबर द्वारा अंतिम संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Food and Public Distribution)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th August, 2020

G.S.R. 496.(E)_.-In exercise of the powers conferred by section 4 read with section 9 of the Sugar Development Fund Act, 1982 (4 of 1982), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Sugar Development Fund Rules, 1983, namely:-

1. (1) These rules may be called the Sugar Development Fund (Amendment) Rules, 2020.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Sugar Development Fund Rules, 1983 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 6, in serial number (8), for the words" Chief Director, Directorate of Sugar", the words "Director, Directorate of Sugar and Vegetable Oils" shall be substituted.

3. In the said rules, in rule 22, after sub-rule (1), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

"(IA) A proposal for modernization-cum-expansion project integrated with cogeneration plant or ethanol plant of any sugar factory of an undertaking having an installed capacity of less than 2500 tones Crushed Per Day but not less than 1250 tones Crushed Per Day and to which financial assistance has been approved as provided in sub-rule (1), shall also be eligible to apply for loan under this rule, subject to the following conditions, namely:-
(i) the application for such project is submitted to a bank or financial institution by the sugar factory;
(ii) in every such project, the appraising authority of the bank or financial institution certifies that the project submitted by the sugar factory is financially viable for such sugar factory of capacity less than 2500 tones crushed Per Day;
(iii) such project shall be technically appraised by the National Sugar Institute, Kanpur or any other institute recognized by the Central Government and it has certified that the project is technically viable;

(iv) State Government guarantee is furnished by the sugar factory or sugar undertaking for Sugar Development Fund loan".

4. In the said rules, in rule 22A, after sub-rule (1), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

"(1A) A proposal for modernization-cum-expansion project integrated with cogeneration plant or ethanol plant of any sugar factory of an undertaking having an installed capacity of less than 2500 tones Crushed Per Day but not less than 1250 tones Crushed Per Day and to which financial assistance has been approved as approved in sub-rule (1), shall also be eligible to apply for loan under this rule, subject to the following conditions, namely:-

(i) the application for such project is submitted to a bank or financial institution by the sugar factory;

(ii) in every such project, the appraising authority of the bank or financial institution certifies that the project submitted by the sugar factory is financially viable for such sugar factory of capacity less than 2500 tones crushed Per Day;

(iii) such project shall be technically appraised by the National Sugar Institute, Kanpur or any other institute recognised by the Central Government and it has certified that the project is technically viable;

(iv) State Government guarantee is furnished by the sugar factory or sugar undertaking for Sugar Development Fund loan".

5. In the said rules, in rule 23, after sub-rule (1), the following sub-rule shall be inserted, namely-

"(1A) A proposal for modernization-cum-expansion project integrated with cogeneration plant or ethanol plant of any sugar factory of an undertaking having an installed capacity of less than 2500 tones Crushed Per Day but notless than 1250 tones Crushed Per Day and to which financial assistance has been approved as approved in sub-rule (1), shall also be eligible to apply for loan under this rule, subject to the following conditions, namely:-

(i) the application for such project is submitted to a bank or financial institution by the sugar factory;

(ii) in every such project, the appraising authority of the bank or financial institution certifies that the project submitted by the sugar factory is financially viable for such sugar factory of capacity less than 2500 tones crushed Per Day;

(iii) such project shall be technically appraised by the National Sugar Institute, Kanpur or any other institute recognised by the Central Government and it has certified that the project is technically viable;

(iv) State Government guarantee is furnished by the sugar factory or sugar undertaking for Sugar Development Fund loan".

6. In the said rules, in rule 25, in sub-rule (3), for the words "rate of six percent", the words "rate of four per cent" shall be substituted.

[F.No-1-1/2020-SDF]
SUBODH KUMAR SINGH, Jt. Secy. [S&A]

Note : The Principal rules were published in the Gazette of India vide notification number G.S.R. 752(E) dated the 27th September, 1983 and was last amended vide notification number G.S.R. 885(E), dated the 17th September, 2018.

Uploaded by Dte.of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
MANOJ KUMAR VERMA